भारत के बैंक : चुनौतियां और अवसर*

हारुन आर. खान

श्रीमती अरुंधती भट्टाचार्य, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक, श्री दीपक पारिख, अध्यक्ष, एचडीएफसी; श्री वी.जी. कण्णन, अध्यक्ष, एसबीआई कैप सेक्यूरिटीज लिमि., श्री मणि पलिवेसन, प्रबंध निदेशक, एसबीआई कैप सेक्यूरिटीज लिमि., विशिष्ट पैनलबद्धगण और सहभागी। बैंकिंग वित्तीय सेवा और बीमा (बीएफएसआई) सम्मेलन 2014 को संबोधित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है जिसमें बैंकिंग के प्रासंगिक मुद्दों पर पैनल चर्चा की जाएगी। पहली पैनल चर्चा बहुत दिलचस्प है जो अगले दशक के विघटनकारी विषयों से संबंधित है। आमतौर पर विघटनकारी शब्द का प्रयोग नकारात्मक अर्थ में किया जाता है इसलिए इसे पैनल चर्चा का विषय चुनना बड़ा ही साहसपूर्ण निर्णय है। इस पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि विघटन को उन चुनौतियों क पर्याय के रूप में देखा जा रहा है जो पूरे परिदृश्य में स्पष्ट परिवर्तनों से पैदा हुई हैं, इसलिए आज जिस प्रकार से कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, यह विषय उसके प्रति सवाल पैदा करता है। इन चुनौतियों ने ऐसे अवसरों को पैदा कर दिया है जिसका इस्तेमाल बैंकों को भारत के वित्तीय सेवा क्षेत्र में प्रासंगिक बने रहने के लिए करना होगा। इसलिए मैं ऐसी कुछ चुनौतियों और अवसरों के बारे में आपसे खासतौर पर बात करूंगा।

2. मार्च 2013 के अंत तक 151 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों सहित 155 वाणिज्य बैंक थे जिनमें से 64 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। मार्च 2014 के अंत तक बैंक कार्यालयों की कुल संख्या 1,15,014 थी और प्रति कार्यालय जनसंख्या 1,10,052 थी। क्षेत्रीय आधार पर बैंक कार्यालयों के फैलाव को देखें तो जहां उत्तर-पूर्व क्षेत्र में 2 प्रतिशत बैंक (2785 बैंक कार्यालय)हैं, वहीं दक्षिणी क्षेत्र में लगभग 28 प्रतिशत बैंक (30,925 बैंक कार्यालय) हैं। बैंकिंग नेटवर्क में इतना बड़ा विस्तार होने के बावजूद बैंकिंग का फैलाव अभी भी अपेक्षाकृत बहुत कम है। क्रिसिल के वित्तीय समावेशन सूचकांक इन्क्ल्यूसिक्स के अनुसार, जो अखिल भारतीय स्तर पर तीन पैरामीटर शाखा का फैलाव, जमाराशि का जुटाना तथा ऋण के फैलाव को कवर करता है, का सूचकांक (100 के मान पर) 2011 में 40.1 पर था, जो यह दर्शाता है कि देश के अधिकांश भागों में बैंकिंग सुविधाओं का फैलाव आवश्यकता से कम है। दक्षिणी क्षेत्र का वित्तीय समावेशन सूचकांक सबसे अधिक 62.2 था, उत्तर-पूर्व क्षेत्र का सूचकांक सबसे कम 28.5 दर्ज किया गया था। प्रति मिलियन जनसंख्या पर एटीएम और पीओएस के आधार पर भी आवश्यकता से कम का फैलाव पाया गया है। भारत में यह क्रमशः 94 और 695 है, जबकि रूस में यह क्रमशः 1200 व 4853 है। जीडीपी की तुलना में ऋण का अनुपात लगभग 53 प्रतिशत है, जो अनेक विकसित देशों एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के ऋण जीडीपी अनुपात से कम है। अतः जरूरत है कि बैंकिंग को बढ़ाया जाए और इसे बढ़चढ़कर फैलाया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि कार्पोरेट बांड बाज़ार विकसित करने के लिए प्रयास किए जाने के बावजूद भारतीय बैंकिंग प्रणाली में बैंकों का वर्चस्व है, जिसमें वित्तीय क्षेत्र की परिसंपत्तियों का तकरीबन 60 प्रतिशत कमर्शियल बैंकों के पास है। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है कि वह समावेश विकास को मध्यावधि से लेकर दीर्घावधि तक आगे बढ़ाए और अपनी गति को बनाए रखे ताकि देश में एक सुदृढ़ और वृद्धिशील बैंकिंग प्रणाली हो ।

3. यह आशा की जाती हे कि भविष्य में भारतीय बैंकिंग तीव्र गति से आगे बढ़ेगी जिसमें प्रौद्योगिकी की गहन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाएगा और ग्राहक-मित्र मॉडल होंगे जिसमें सुविधा और किफायत का ध्यान रखा जाएगा। बास्टन कंसल्टिंग समूह द्वारा 2010 में *'भारतीय बैंकिंग 2020 : दशक के वचन को सत्य सिद्ध करना'* नामक रिपोर्ट तैयार किया है जिसमें भारतीय बैंकिंग के लिए 10 बड़ी प्रवृत्तियों की पहचान की गई है। इन प्रवृत्तियों एवं कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं जिनकी ओर बैंकों को ध्यान देना है और जिनकी यह अपेक्षा है कि विकास की गति बनाए रखने के लिए ऐसे अवसरों की ज़रूरत है जिन्हें नीचे संक्षेप में दिया जा रहा है।

i) भारतीय जनसांख्यिकी से खुदरा बैंकिंग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। यह महत्वपूर्ण है कि मध्यम वर्ग की जनसंख्या 2020 में 200 मिलियन हो जाएगी और 2027[1] तक 475 मिलियन हो जाएगी। इससे मार्गेज बहुत तेजी से बढ़ेगा और 2020 तक 40 ट्रिलियन रुपये से अधिक हो जाने की संभावना है।

---

* श्री हारुन आर. खान, उप गवर्नर द्वारा मुंबई में एसबीआई कैप सेक्यूरिटीज द्वारा 12 जून 2014 को मुंबई में आयोजित बीएफएसआई सम्मेलन 2014 में दिए गए व्याख्यान का मुख्य अंश। वक्ता ने इस व्याख्यान में श्री प्रकाश बलियार सिंह, श्रीमती नीलिमा रामटेके और श्री तुलसी गोपीनाथ, भारतीय रिज़र्व बैंक के योगदान के प्रति आभार प्रकट किया है।

[1] अन्सर्ट एंड यंग की रिपोर्ट : चीन और भारत : कल का मध्यम वर्ग

ii) एक अन्य खंड जिसमें बहुत अधिक अवसर पैदा होंगे वह है 'निचले' और 'मध्यम' वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए वित्त मुहैया कराना।

iii) अमीर घरानों में दौलत तेजी से जमा होगी जो पूंजी प्रबंधन के आकार को 10 गुना बढ़ा देगी।

iv) *'आगामी बिलियन'* उपभोक्ता खंड बहुत बड़े रूप में उभरेगा और उसकी संख्या बहुत बड़ी होगी जिसे सस्ती दर पर बैंकिंग साल्यूशन तथा नवोन्मेषी परिचालन माडल की जरूरत होगी, जो छोटे ग्राहकों की बहुत बड़ा बाज़ार बनेगा।

v) बैंक से जुड़ने वाली अतिरिक्त बड़ी जनसंख्या के लिए शाखाओं और एटीएम की क्रमशः दो गुना और पांच गुना ज़रूरत होगी। कम लागत वाला शाखा-नेटवर्क और छोटे आकार की शाखाएं अपनाई जाएंगी।

vi) मोबाइल बैंकिंग समय की मांग बन जाएगी जिसपर बड़े पैमाने पर इंटरनेट का इस्तेमाल होगा जो देश में मोबाइल के बढ़ते घनत्व का फायदा उठाएगा।

vii) ग्राहक को हासिल करने की लागत कम करने के लिए बैंक सीआरएम और डाटा वेयरहाउसिंग का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करेंगे और जोखिम प्रबंधन को बेहतर बनाएंगे। बैंकों को नई प्रौद्योगिकी को समझना होगा और अपनाना ही होगा, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग और विश्लेषण आधारित बड़े डाटा में काफी हद तक निवेश करना होगा।

viii) खुदरा और कार्पोरेट बैंकिंग दोनों में मार्जिन पर नीचे की ओर जाने का दबाव होगा जिसके लिए बैंकों को अधिक शुल्क पैदा करना होगा तथा परिचालन क्षमता को बेहतर बनाना होगा।

ix) बैंक, लाभ कमाने के लिए तथा संवृद्धि के लिए एसएमई खंड के महत्व को पहचानेंगे तथा एसएमई खंड को लाभप्रद तरीके से सेवा प्रदान करने के लिए नये माडल लाए जाएंगे क्योंकि अभी भी इस खंड के तीन चौथाई हिस्से को बैंकिंग सेवाओं का इंतज़ार है।

x) निवेश बैंकिंग 10 गुना बढ़ जाएगी, जिसमें कार्पोरेट जगत से लेनदेन में सहायता प्रदान करने और पूंजी बाज़ार में पहुंच बनाने की मांग बढ़ेगी; और

xi) बुनियादी सुविधाओं से संबंधित कर्ज 45 ट्रिलियन रुपये से अधिक हो जाएगा - जिसकी आधी रकम बैंकों की बहियों में दर्ज होगी। यह बैंकों की एएलएम सीमा को छू लेगा तथा बैंकों की जोखिम प्रबंधन प्रणाली का काफी हद तक उन्नयन करना होगा।

xii) कृषि संबंधी वित्तपोषण का फोकस एक छोर से दूसरे छोर तक सप्लाई की कड़ियों के प्रबंधन के क्षेत्र पर वित्तपोषण के विविध एग्रीगेशन मॉडल्स पर, आर्गेनिक तथा कृषि के अन्य निर्दिष्ट (निशे) क्षेत्रों पर होगा। ग्रामीण बैंकिंग को अनिवार्यतः शाखारहित मॉडल से तथा सेवा के वैकल्पिक माध्यमों द्वारा सेवा प्रदान करनी होगी।

xiii) यद्यपि बैंकों का फोकस घरेलू कारोबार पर निरंतर बना रहेगा, वैश्वीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए सीमा-पार से किए जाने वाले बैंकिंग कारोबार पर अधिक ध्यान देना होगा। विश्व बैंक की हाल की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 में विप्रेषण में भारत की स्थिति सबसे ऊपर थी और विप्रेषण 70 बिलियन अमरीकी डालर था, उसके बाद चीन (60 बिलियन अमरीकी डालर), फिलीपीन (25 बिलियन अमरीकी डालर), मेक्सिको (22 बिलियन अमरीकी डालर), नाइजीरिया (21 बिलियन अमरीकी डालर), इजिप्ट (17 बिलियन अमरीकी डालर), पाकिस्तान (15 बिलियन अमरीकी डालर) और बांग्लादेश (14 बिलियन अमरीकी डालर) था। भारत के बढ़ते हुए फैलाव से उत्पन्न विप्रेषण और जमा तथा निवेश संबंधी लेनदेन के अलावा, भारत का व्यापार वित्त और बाह्य प्रत्यक्ष निवेश बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दूसरे शब्दों में, बैंकों को चाहिए कि वे भारत के वैश्वीकरण से उत्पन्न होने वाले बढ़ते कारोबार के लाभ तथा निवास एवं अनिवासी भारतीयों का फायदा उठाएं।

xiv) अब यह महसूस किया जा रहा है कि विनिर्माण क्षेत्र विकास का एक प्रमुख संचालक होगा, हालांकि पिछले समय में विकास की दर धीमी रहने के कारण इस क्षेत्र में मंदी रही है। मैककिंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट [2] ने अपनी हाल की रिपोर्ट में यह लिखा है कि भारतीयों के जीवन-स्तर में व्यापक सुधार लाने के लिए और गरीबी दूर करने हेतु वर्ष 2012 से 2022 के बीच कृषि से इतर 115 मिलियन नये रोजगार पैदा करने होंगे और उसमें से लगभग 27 मिलियन रोजगार विनिर्माण क्षेत्र में पैदा करना होगा। विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में प्रति वर्ष कम से कम 10 प्रतिशत, शायद उससे अधिक की वृद्धि दर की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति ने वर्ष 2022 तक जीडीपी में विनिर्माण का हिस्सा 25 प्रतिशत रखा है।

[2] निर्धनता से सशक्तीकरण : रोजगार, विकास तथा प्रभावी बुनियादी सेवाओं के लिए भारत की अनिवार्यता, फरवरी 2014.

वृद्धि की इस दर को प्राप्त करने के लिए बैंकों को इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वित्त प्रदान करने होंगे।

4. ये जो अवसर के वातावरण पैदा हो रहे हैं, उसे देखते हुए मैं यह महसूस करता हूँ कि यह उचित होगा कि बैंकों के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही हैं उसका जायज़ा लिया जाए, इसके अलावा, अपनाई जाने वाली रणनीति और कारोबारी माडल, खासतौर से जो विनियामकीय एवं भुगतान प्रणाली की दृष्टि से हों उनका जायज़ा लें। मैं यहां कुछ चुनौतियों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ।

विनियामकीय दृष्टि से चुनौतियां

भारतीय बैंकींग ढांचे का री-ओरियंटेशन

5. जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, उसे उसकी प्रगति प्रक्रिया को सहारा देने के लिए अधिक मात्रा में संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। भारत के बैंकिंग क्षेत्र को भी अर्थव्यवस्था में विस्तार होने के साथ-साथ ऋण-जीडीपी के बढ़ते अनुपात को भी पकड़ने की आवश्यकता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार आर्थिक विकास को सहायता प्रदान करने के लिए बैंकिंग कारोबार को 2012 के 115 ट्रिलियन रुपये से बढ़कर 2020 तक 288 ट्रिलियन रुपये करना होगा।[3] इसे देखते हुए इस बात की आवश्यकता है कि बैंकिंग ढांचे को बदला जाए और उसकी सुरक्षा तथा स्थिरता को कायम रखते हुए उसे अधिक सक्रिय एवं लचीला बनाया जाए। बैंकिंग ढांचे के आकार और उसकी क्षमता को बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। इसी के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2013 में निजी क्षेत्र में नये बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने के मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए हैं। लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया को पूरा करते हुए निजी क्षेत्र में दो आवेदकों को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया है जो अगले 18 महीने में नए बैंक स्थापित करेंगे।

6. जहां रिज़र्व बैंक ने दो आवेदकों को 'सैद्धांतिक रूप' से अनुमोदन देने की घोषणा की है वहीं यह भी उल्लेख किया है कि वह लाइसेंस प्रदान करने के इस अनुभव से जो सीख मिलेगी उसके अनुसार दिशानिर्देशों को उपयुक्त रूप से बदलेगा और 'आवश्यकता आधार (टैप बेसिस)' नियमित रूप से और अधिक लाइसेंस प्रदान करेगा। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक 'विविध श्रेणी' के बैंक लाइसेंस देने की नीति बनाने पर कार्य करेगा जिससे बैंकिंग में अधिक बैंक आ सकेंगे और बैंकिंग फैलाव बढ़ेगा तथा स्पर्धा का माहौल पैदा होगा। इसी तरह से, रिज़र्व बैंक, भुगतान बैंक तथा लघु बैंक को लाइसेंस देने के लिए प्रासंगिक दिशानिर्देश तैयार कर रहा है।

7. वस्तुतः अगले वर्षों में, जैसा कि चर्चा-पत्र में कहा गया है, बैंकिंग ढांचे के री-ओरियंटेशन के चार टियर होंगे। पहले टियर में तीन या चार बड़े युनिवर्सल भारतीय बैंक होंगे जो घेरलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर होंगे, साथ ही भारत में विदेशी बैंकों की शाखाएं भी इस टियर में होंगी। दूसरे टियर में अनेक मध्यम-आकार की बैंकिंग संस्थाएं होंगी, साथ ही विशेष किस्म के बैंक जैसे भुगतान बैंक जिसकी उपस्थिति पूरी अर्थव्यवस्था में रहेगी। तीसरे टियर में पुराने निजी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और बहु-प्रदेशीय शहरी सहकारी बैंक होंगे। चौथे टियर में कई छोटे निजी स्वामित्व वाले स्थानीय बैंक तथा सहकारी बैंक हेांगे।

स्पर्धा

8. डब्लू. चैन किम.एंड ए. रेनी माउबोर्ने ने अपनी पुस्तक *'ब्लू ओशियन स्ट्रेटिजी'* में यह लिखा है कि कंपनियां अपने प्रतिस्पर्धियों से स्पर्धा करके ही सफलता नहीं प्राप्त कर सकती; बल्कि जिन बाज़ार स्थलों पर स्पर्धा नहीं है वहां *'ब्लू ओशन्स'* (अज्ञात बाजार) का सृजन करके सफलता हासिल कर सकती हैं। इस प्रकार की रणनीति अपनाकर आगे बढ़ने से कंपनी की कीमत बढ़ती जाती है, उसके खरीदारों एवं कर्मचारियों का मूल्य बढ़ता है और वह नई मांगें पैदा कर देती है तथा स्पर्धा को अप्रसांगिक बना देती है। *'रेड ओशन्स स्ट्रेटेजी'* (ज्ञात बाज़ार रणनीति) कारोबार में स्पर्धा को पराजित करने का परंपरागत तरीका था, इसके विपरीत *'ब्लू ओशन्स स्ट्रेटेजी'* (ज्ञात बाज़ार रणनीति) में नवोन्मेष को उपयोगिक अनुरूप बनाने, मूल्य और लागत का अनुपात तैयार करने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार, वित्तीय क्षेत्र के सुधार से महत्वपूर्ण ढांचागत परिवर्तन किए गए हैं और बहुत से अज्ञात बाज़ारों का सृजन किया गया है। इस प्रकार का विकास बैंकों में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा में दिखाई देता है। 1991 में सुधार के समय कुल बैंकिंग परिसंपत्तियों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा 90 प्रतिशत था जो अब घटकर 72 प्रतिशत रह गया है, अर्थात् मोटे तौर पर प्रतिवर्ष 1 प्रतिशत की कमी हुई है। एक अन्य प्रस्ताव भी है जिससे घरेलू बैंकिंग उद्योग में स्पर्धा और बढ़ने की संभावना है, वह यह है कि रिज़र्व बैंक ने नये युनिवर्सल बैंक तथा विविध स्वरूप

[3] *भारत में बैंकिंग का ढांचा-भावी दिशा,* चर्चा पत्र, भारतीय रिज़र्व बैंक, अगस्त 2013

के बैंक जैसे - लघु बैंक और भुगतान बैंक के स्वरूप, जो शीघ्र ही आने वाला है के साथ-साथ नवंबर 2013 में भारत में विदेशी बैंकों द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी संस्थाएं स्थापित करने का स्वरूप जारी किया है। जैसाकि मैंने ऊपर उल्लेख किया है, नये बैंक बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश के लिए तैयार हैं। इसके अलावा, बैंकों को एनबीएफसी, म्युचुअल फंड संस्थाओं और प्रौद्योगिकी कंपनियों सहित गैर-बैंक संस्थाओं से काफी स्पर्धा करनी पड़ रही है। इससे आगे, नवोन्मेष के माध्यम से गैर-बैंक वित्तीय गतिविधियां भी बढ़ सकती है जैसे - समूह-से-समूह (पीटूपी) को उधार देना,[4] सीधे ही उपभोक्ता उधार और सामाजिक निवेश। बढ़ती स्पर्धा के मद्देनजर, बैंकों को चाहिए कि वे प्राप्त न किए गए कारोबार अवसरों को हासिल कर लें। इसे पिरामिड की निचली सतह में संसाधनों को जोड़ना भी कहते हैं। छोटे ग्राहक भी उनके कारोबार को बढ़ाने के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि बड़े कारोबारी अवसर। बैंकों के सामने चुनौती यह है कि वे प्रौद्योगिकी तथा नवोन्मेष का सर्वोत्तम उपयोग करें जिससे उनकी निचली सतह की सुरक्षा के साथ मध्यस्थता लागतें कम हो सकें।

बासेल III का कार्यान्वयन

9. बासेल III संरचना को लागू करने से बैंकों के सामने बहुत सी चुनौतियां आ जाएंगी। खासतौर से, भारतीय बैंक जब बासेल III की पूंजी अपेक्षा को अपनाएंगे तब उनकी इक्विटी पर प्रतिलाभ काफी हद तक कम हो जाएगा। निवेशकों के पास बहुत अधिक विकल्प होंगे और बैंकिंग क्षेत्र के स्टाफ की तुलना में विनिर्माण क्षेत्र के स्टॉक को अधिक वरीयता दी जाएगी, और ऐसी स्थिति में निवेशक समुदाय को अल्पकाल में भारीतय बैंकों में निवेश करने के लिए राजी करना मुश्किल होगा। लेकिन, बैंकिंग प्रणाली की सामर्थ्य को बढ़ाते हुए बासेल III की पूंजी अपेक्षाओं को लागू करने के फायदे को देखते हुए, निवेशक नई सच्चाइयों से स्वयं को समायोजित कर लेंगे। इस मामले को ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखने की जरूरत है ताकि इस तथ्य को समझा जा सके कि भारतीय बैंकों को पहले पूंजी के लिए कोई विनियामक अपेक्षा नहीं होती है और वे उस अवस्था से कितनी सफलतापूर्वक क्रमिक रूप से कठोर पूंजी अपेक्षाओं की ओर आ गए हैं और यह उम्मीद करना तर्कसंगत होगा कि भारतीय बैंक वर्तमान चरण का भी संचालन कर लेंगे। जो भी हो, यह मानने की जरूरत है कि जब आरओई के विकास में धीमापन आना अपरिहार्य है, तो इस प्रभाव को सहारा देने के लिए खास बात यह है कि पूंजी को इष्टतम बनाया जाए और क्षमता को बढ़ाया जाए।

10. 9 जून, 2014 को रिज़र्व बैंक ने चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) को लागू करने के बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो चलनिधि मानक पर बासेल III ढांचे का हिस्सा है। भारत में एलसीआर चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ किया जाएगा जिसमें 01 जनवरी, 2015 से 60 प्रतिशत की न्यूनतम अपेक्षा होगी और न्यूनतम 100 प्रतिशत तक 01 जनवरी, 2019 तक पहुंचा जाएगा। न्यूनतम एसएलआर से अधिक की सरकारी प्रतिभूतियों और मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक अधिदेशित एसएलआर अपेक्षा के भीतर सरकारी प्रतिभूतियों को एलसीआर की गणना के लिए स्तर 1 की परिसंपत्ति के रूप में माना जाएगा। बासेल III के अंतर्गत चलनिधि मानकों को अपनाने से भारतीय बैंकों की निधि प्रदान करने की वरीयताएं बदल जाएंगी जिससे इस तथ्य का पता चलता है कि आगे चलकर जब एलसीआर की अपेक्षा क्रमशः बढ़ती जाएगी तब गुणवत्तापरक चलनिधि की उपलब्धता एवं उस तक पहुँच एक चुनौती बन जाएगी।

पूंजी जुटाना

11. बासेल III पूंजी मानदंडों को चरणबद्ध रूप से अपनाने की प्रक्रिया में, भारतीय बैंकों के पास सामान्यतया प्रारंभ में पूंजी पर्याप्तता की स्थिति अपेक्षाकृत सहज रहेगी। किंतु, आगे चलकर पूंजी की रकम में वृद्धि एक चुनौती होगी, जिसके बारे में मैं अब बात करुंगा। रिज़र्व बैंक ने बासेल III पूंजी विनियमन को लागू करने से संबंधित अंतिम दिशानिर्देश 2 मई, 2012 को जारी कर दिए हैं। ये दिशानिर्देश 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी हो गए हैं और चरणबद्ध रूप से 31 मार्च 2019 तक पूरी तरह लागू हो जाएंगे। हालांकि, बासेल III पूंजी अपेक्षा के चरणबद्ध रूप से लागू होने पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अतिरिक्त पूंजी जुटाने के बारे में कई

[4] पी2पी उधार को 'सामाजिक निवेश' बाजार में उधार अथवा 'सीधे उपभोक्ता उधार' भी कहा जाता है, यह असंबद्ध व्यक्तियों और कारोबारी संस्थाओं के बीच उधार लेने और उधार देने की परंपरा है। यह आनलाइन प्लेटफार्म पर होता है, जिसमें पारंपरिक वित्तीय बिचौलिया जैसे बैंक या गैर-बैंक संस्था की कोई भूमिका नहीं होती है। भीड़ को निधीयन एक सामान्य शब्दावली है जिसमें बड़ी संस्था में व्यक्तियों/संगठनों द्वारा छोटी राशि जुटाई जाती है और यह निधि वेब-आधारित प्लेटफार्म पर कला संबंधी कार्यों, सामाजिक कार्य या कारोबार प्रारंभ करने के लिए प्रदान की जाती है। पी2पी उधार देने का कार्य वेबसाइट के माध्यम से पी2पी उधारदाता कंपनियों द्वारा किया जाता है, वे उधार देने के लिए विभिन्न प्रकार के 'प्लेटफार्म' का उपयोग करती हैं और सेवा प्रदान करने के लिए अपेक्षाकृत बहुत कम प्रभार कमीशन के रूप में लेती हैं।

प्रकार के अनुमान लगाए जा रहे हैं, - फिर भी एक बात स्पष्ट है कि जिस अवधि तक यह अपेक्षा पूरी तरह से लागू की जाएगी तब तक पूंजी की मात्रा काफी बढ़ जाएगी। पिछले चार वर्षों में सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों में 586 बिलियन रुपये डाले हैं। सरकार ने 2014-15 के अंतरिम बजट में 112 बिलियन रुपये का प्रावधान किया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में 70 प्रतिशत से अधिक बैंकिंग परिसंपत्तियां हैं। इसलिए, इतनी मात्रा में सरकार द्वारा पूंजी डाला जाना पर्याप्त नहीं होगा। यह भी नोट करना जरूरी है कि सरकार के ऊपर अधिक निर्भर रहना कि सरकार इक्विटी डालेगी, जबकि बैंकों के प्रबंधन के पास इस बात की गुंजाइश रहती है कि वे बाजार से इक्विटी जुटा सकें। बासेल III पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपने इक्विटी पूंजी आधार को बाजार से बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं। उनकी आंतरिक रूप से पूंजी जुटाने की कोशिशें नाकाम रही हैं, खासतौर से उनकी परिसंपत्ति की गुणवत्ता घट जाने से संभवतः परिसंपत्तियों का गलत चयन करने से। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की परिसंपत्ति पर की गुणवत्ता पर बढ़ता क्षेत्र हुआ दबाव तथा रेटिंग कम किए जाने की चुनौती, बैंकों की इक्विटी पर दबाव को और भी बढ़ा देगी। इसके अलावा, बासेल II ढांचे के अंतर्गत पर्यवेक्षी समीक्षा तथा मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर और अधिक पूंजी की जरूरत पड़ेगी।

12. अधिक अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकताओं से, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनः पूंजीकरण से सरकार की राजकोषीय स्थिति पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा। किंतु, ऐसे कई अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं जिनसे अतिरिक्त पूंजी जुटाने की चुनौती को पूरा किया जा सकता है।

i. सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सरकार के हिस्सों को समाप्त कर देना। इन बैंकों में सरकार की वर्तमान शेयरधारिता 58 से 89 प्रतिशत के बीच है, इसलिए सरकार की स्थिति पर प्रभाव डाले बिना बाजार से इक्विटी जुटाने के लिए पर्याप्त आधार हैं;

ii. सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों की भूमिका और जिम्मेदारियों की समीक्षा होनी चाहिए। बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के प्रभावी होने का असर लाभ के स्वरूप पर पड़ता है, और फलस्वरूप बैंक की समग्र पूंजी आवश्यकता पर पड़ता है। सरकार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की मालिक होने के नाते सरकारी क्षेत्र के बैंकों को चिंतित कर रहे अभिशासन पहलुओं का समाधान कर सकती है;

iii. सार्वजनिक और राइट निर्गम के अलावा, बैंकों के पास इक्विटी जुटाने के और भी रास्ते हैं जैसे - अर्हक संस्थागत स्थानन (क्यूआइपी) तथा ईएसओपी के माध्यम से। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों को चाहिए कि वे इक्विटी पूंजी जुटाने के सभी संभाव्य विकल्पों का पता लगाएं;

iv. जिस प्रकार से ब्याज से होने वाली आय पर कर में छूट मिलती है उसी प्रकार से बैंक के टियर 1 बांड में निवेश करने पर निवेशकों को कर की रियायत दी जाए (आंशिक या पूर्ण रूप से) जिससे ये इन बांडों का बाजार बढ़े और गहन बने जो इस स्थिति में उपयोगी साबित होगा;

v. सरकारी क्षेत्र के बैंक वोटिंग अधिकार-रहित इक्विटी शेयर जनता को जारी कर सकते हैं, जब कि सरकार 51 प्रतिशत से कम का कुल इक्विटी शेयर अपने पास रख सकती है, और उसके पास अभी भी कुल वोटिंग इक्विटी का कम से कम 51 प्रतिशत अधिकार बना रहेगा,

vi. इसी प्रकार से विभिन्न वोटिंग इक्विटी के विकल्प भी जारी करने पर विचार किए जा सकते हैं। इन निर्गमों से सरकार के पास अपेक्षित स्तर तक का वोटिंग अधिकार रहेगा, भले ही आर्थिक हित थोड़े कम हो जाएंगे, अर्थात् सरकार को लाभांश के रूप में होने वाली आय कम हो जाएगी;

vii. सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सरकार की हितधारिता (स्टेक) को 51 प्रतिशत से कम किया जा सकता है, जिसके बदले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियंत्रित करने वाले संबंधित कानून में संशोधन करके सरकार को कतिपय सुरक्षात्मक अधिकार दिए जा सकते हैं;

viii. इस संबंध में, भारत में बैंकों के बोर्डों के अभिशासन की समीक्षा से संबंधित समिति (नायक समिति) के प्रस्ताव कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सरकार के शेयरों को किसी निवेश कंपनी अर्थात् बैंक निवेश कंपनी (बीआईसी) के अंतरित करने से, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सरकार की हितधारिता (स्टेक) 50 प्रतिशत से कम हो जाएगी जिससे सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अधिक स्वायत्तता मिलेगी और उनमें प्रोफेशनलिज्म पैदा होगी जिससे उनकी इक्विटी पर रिटर्न प्रोफेशन बढ़ेगा तथा इससे प्रावधान भी कम करने आदि के अलावा बाजार से भी अधिक पूंजी हासिल की जा सकेगी, ये कुछ मूल्यवान सुझाव हैं जिनपर विचार किया जा सकता है, और

ix. निजी क्षेत्र के दबावग्रस्त बैंकों के संबंध में भी नायक समिति ने सिफारिश की है कि निजी इक्विटी निधि, साथ ही सरकारी संपदा निधि को 40 प्रतिशत तक की नियंत्रणकारी हितधारिता की अनुमति दी जानी चाहिए।

परिसंपत्ति की गुणवत्ता

13. दिसंबर 2013 को समाप्त तिमाही में बैंकों का कुल ऋण प्रावधान एक लाख करोड़ रुपये था, जिसमें पिछले वर्ष से 13 प्रतिशत की वृद्धि थी, जिससे पता चलता है कि भारत में बैंकों की ऋण परिसंपत्तियों की क्वालिटी काफी खराब हुई है। वर्ष-दर-वर्ष सकल अनर्जक अग्रिमों (जीएनपीए) के बढ़ते जाने ने वर्ष-दर-वर्ष अग्रिमों में वृद्धि को पीछे छोड़ दिया है, जो सितंबर 2011 को समाप्त तिमाही से प्रारंभ हुआ था और अभी तक जारी है, सिर्फ दोनों में वृद्धि का अंतर कम हो गया है।[5] सरकारी क्षेत्र के बैंकों में मार्च 2014 के अंत तक दिए गए कुल अग्रिमों का 11.3 प्रतिशत अग्रिम दबावग्रस्त है जो सबसे अधिक स्तर है। इसके बाद, पुराने निजी बैंकों का दबावग्रस्त अग्रिम 5.8 प्रतिशत है। जहां कृषि क्षेत्र में जीएनपीए अनुपात सबसे अधिक है वहीं उद्योग क्षेत्र में विशेष रूप से पुनः संरचना किए गए मानक अग्रिमों का स्तर बहुत अधिक है, जिससे उद्योग क्षेत्र का दबावग्रस्त अग्रिम दिसंबर 2013 में 15.6 प्रतिशत था और सेवा क्षेत्र का 7.9 प्रतिशत था। पांच उप-क्षेत्र हैं जैसे - बुनियादी सुविधा (जिसमें शामिल हैं - विद्युत उत्पादन, दूर-संचार, सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेल्वे (भारतीय रेल को छोड़कर) और अन्य बुनियादी सुविधाएं), लोहा और इस्पात, सूती वस्त्र, खनन (कोयला सहित) तथा विमानन सेवाएं, इनमें दबाव का स्तर बहुत अधिक है और इन्हें बैंक के उधार पोर्टफोलियो में 'दबावग्रस्त' क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है। इन पांच दबावग्रस्त उप-क्षेत्रों का अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल अग्रिम में 24 प्रतिशत हिस्सा है। कुल अग्रिमों में बुनियादी सुविधाओं का हिस्सा सबसे अधिक 14.7 प्रतिशत था। बैंक-समूहों में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में इन पांच उप-क्षेत्रों का सबसे अधिक हिस्सा 27.3 प्रतिशत था।

14. यह बात व्यापक स्तर पर स्वीकार की गई है कि आर्थिक मंदी ने बैंकों की परिसंपत्ति क्वालिटी को प्रभावित किया है, हालांकि यह प्रभाव सभी बैंकों पर समान रूप से नहीं पड़ा है। क्षेत्रवार और उनके आकारवार परिसंपत्ति क्वालिटी के विश्लेषण से पता चलता है कि संपूर्ण क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का जीएनपीए अनुपात और उनके आकार अन्य बैंक समूहों की तुलना में काफी बड़े थे। बैंकों की गिरती हुई परिसंपत्ति-क्वालिटी की चुनौती का सामना हम किस प्रकार करें? विश्लेषकों ने प्रायः यह बताया है कि परिसंपत्ति की खराब क्वालिटी का काफी हद तक कारण बहुत अधिक प्रोत्साहित न करने वाली मैक्रो-इकॉनॉमिक स्थिति रही है, और यह उम्मीद की जाती है कि केंद्र सरकार द्वारा नई पहल लागू करने से ये मुद्दे प्रभावी रूप से सुलझ जाएंगे। शंकालु, अभी भी कुछ कारणों की ओर इशारा करेंगे, जैसे - *'अलनीनो'* का भय, जिससे मानसून कमज़ोर हो सकता है, विश्व की घटनाएं जैसे मात्रागत सहजता आदि और भौगोलिक राजनीतिक जोखिम भारत में निष्पादन के प्रति जोखिम हो सकते हैं। यह भी सत्य है कि यहां तक कि आर्थिक परिदृश्य के स्वस्थ होने पर भी बैंकों की परिसंपत्ति - क्वालिटी अपर्याप्त ऋण-प्रबंधन के कारण खराब बनी रहेगी। उपयुक्त ऋण मूल्यांकन और निगरानी के लिए कोई शार्ट-कट नहीं है। प्रारंभिक चेतावनी संकेतों को पहचानना और पाई गई कमजोरियों को दूर करने के लिए समय पर उपाय करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

15. रिज़र्व बैंक ने 30 जनवरी, 2014 को 'अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त परिसंपत्तियों को बनाने का ढांचा' जारी किया था, जिसमें बैंक प्रारंभिक चरण में ही अपनी परिसंपत्तियों के दबाव को पहचान लेंगे और उसके समाधान/सुधार के लिए तत्काल कदम उठाएंगे और इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश 26 फरवरी, 2014 को जारी कर दी गई थीं। इस ढांचे में उन कतिपय संरचनागत रुकावटों की पहचान की गई है जो बैंकों की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के सहज समाधान/सुधार के लिए हैं और कुछ उपाय सुझाये हैं जैसे - सरफेसी अधिनियम को पुनः निर्धारित करना, डीआरटी को सुदृढ़ बनाना आदि और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को नवीकृत करना भी सुझाया गया है।

[5] अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का पूरी प्रणाली में कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल अनर्जक अग्रिम (जीएनपीए) सितंबर 2013 के 4.2 प्रतिशत से कम होकर मार्च 2014 में 3.9 प्रतिशत हो गए। कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में निवल अनर्जक अग्रिम (एनएनपीए) भी सितंबर 2013 के 2.3 प्रतिशत से घटकर मार्च 2014 में 2.0 प्रतिशत हो गए थे। परिसंपत्ति की गुणवत्ता में यह सुधार मानक अग्रिमों का अनर्जक के रूप बदलना कम होने से था और मौसमी पैटर्न के हिसाब से वसूली अच्छी थी तथा राइट-ऑफ कम थे जो आमतौर पर वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में होते हैं। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के दबावग्रस्त अग्रिम भी कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सितंबर 2013 के 10.2 प्रतिशत से घटकर मार्च 2014 में 9.6 प्रतिशत हो गए थे। परिसंपत्ति की गुणवत्ता में यह सुधार सभी बैंक-समूहों में पाया गया था।

16. रिज़र्व बैंक ने बड़े ऋणों से संबंधित सूचनाओं के केंद्रीय भंडार (क्रिल्क) की स्थापना की है, ताकि सभी उधारकर्ताओं के ऋण-एक्सपोजर से संबंधित डाटा एकत्रित, भंडारित और प्रसारित किए जा सकें, साथी ही खाते (एसएमए 0, 1 और 2) के बारे में विशेष उल्लेख होगा कि निधि-आधारित और गैर-निधि आधारित है जिनका एक्सपोजर 50 मिलियन रुपये और उससे अधिक है। क्रिल्क ने बड़े ऋणों के बारे में जानकारी को प्रसारित करना प्रारंभ कर दिया है जिससे ऋण-सूचना संबंधी असमानताएं कम होंगी और बैंकों द्वारा ऋण के संबंध में निर्णय लेने में सुधार आएगा क्योंकि उनके पास सूचनाएं उपलब्ध होंगी। बैंकों को यह जानकारी होगी कि बड़े कॉमन एक्सपोजर कौन से हैं और प्रणाली में निर्मित लीवरेज कितना है। बैंकों के पास विभिन्न बैंकों द्वारा प्रत्येक बड़े एक्सपोजर के संबंध में किए गए परिसंपत्ति वर्गीकरण तक पहुंच होगी। बैंकों को एक संयुक्त उधारदाता मंच सक्रिय करने की जरूरत है ताकि जब उधारदाता, क्रिल्क को उधारकर्ता के बारे में यह रिपोर्ट दे कि उसका खाता एसएमए2 है तो वे सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर सकें। हमने बैंकों से कहा है कि वे डाटा प्रस्तुत करने में विलंब न करें और डाटा गुणवत्तापूर्ण हों और ईमानदारी से किए गए हों। यह आशा की जाती है कि इस प्रणाली के लागू हो जाने के बाद क्रिल्क ढांचा बड़े उधारकर्ताओं पर नैतिक दबाव बनाएगा/अनुशासित करेगा कि वे बकाया राशियों का समय पर भुगतान करें अन्यथा उनके नाम एसएमए2 रिपोर्ट में आएंगे और बैंक प्रबंधन स्वयं अच्छी तरह लैस होंगे कि अपने उच्च मूल्य वाले ऋण पोर्टफोलियो की सुदृढ़ता के मूल्यांकन के लिए समय पर कार्रवाई प्रारंभ कर सकें।

अभिशासन

17. जैसाकि पहले उल्लेख किया जा चुका है, नायक समिति ने भारत में बैंकों के अभिशासन पहलू के संबंध में, खासतौर से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बारे में कुछ प्रमुख निष्कर्ष दिए हैं। समिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों की चर्चाओं की गुणवत्ता बढ़ाने की जरूरत है ताकि उनमें बेहतर रणनीति के प्रति फोकस हो सके। इसके अलावा, सात थीम ऐसी हैं जो उनकी मध्यावधि शक्ति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं जैसे - कारोबारी रणनीति, वित्तीय रिपोर्ट और उनकी विश्वसनीयता, जोखिम, अनुपालन, ग्राहक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और मानव संसाधन। अन्य सभी मदों को बोर्ड के समक्ष चर्चा के लिए अपवादस्वरूप लाया जाए और उनपर बोर्ड की समितियों में चर्चा की जानी चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि इन सात थीमों में से जिनकी बोर्ड में विस्तृत संवीक्षा की जानी चाहिए, सबसे अधिक ज़ोर कारोबारी रणनीति और जोखिम पहलुओं को दी जानी चाहिए। इसके अलावा, समिति का विचार है कि बोर्ड की चर्चा की गुणवत्ता, कौशल और बोर्ड के सदस्यों की स्वतंत्रता के प्रति संवेदनशील होती है, अतः यह आवश्यक है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में बोर्ड के कौशल उन्नयन के लिए उनकी समग्र नियुक्ति प्रक्रिया का कनफिगर किया जाए। अन्यथा इसकी पूरी संभावना है कि बोर्ड सशक्त एवं प्रभावी न हो। इसके लिए, सरकार को सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पूरी तरह से सशक्त बोर्डों की स्थापना का उपाय करना चाहिए, जिन्हें पूरी तरह से बैंकों के अभिशासन एवं प्रबंधन की निगरानी का कार्य सौंपा जाए। प्रस्तावित बैंक निवेश कंपनी, जो सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सरकार के शेयरों को धारित करेगी, उसे पेशेवराना प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए और बैंकों के बोर्डों के पुनर्गठन द्वारा बैंक को सशक्त बनाना चाहिए, जो परिणामस्वरूप कंपनी अभिशासन को बड़े पैमाने पर बेहतर बनाने में सहायक होगा। समिति की सिफारिशों के अनुसार, वस्तुतः चरण III में, बैंक निवेश कंपनी द्वारा समस्त स्वामित्व वाले कार्य बैंक बोर्डों को अंतरित कर दिए जाएंगे। स्वतंत्र बैंक निदेशकों और पूर्ण कालिक निदेशकों (सीईओ सहित) की नियुक्तियों की जिम्मेदारी बैंक बोर्डों की होनी चाहिए। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की दृष्टि से समान रूप से महत्वपूर्ण यह भी है कि शीर्ष प्रबंध तंत्र गुणवत्तापूर्ण हो, खासतौर से अनुभव, विशेषज्ञता और निरंतरता की दृष्टि से। जहां सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों के पेशेवराना अंदाज और प्रभावशालिता प्रमुख चुनौती बन गई है, वहीं यही मुद्दा निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ भी इससे कम महत्व का नहीं है, उदाहरण के लिए, ऐसी स्थिति में जब उनके प्रमुख शेयरधाराकों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों का उनपर वर्चस्व हो। निजी क्षेत्र के बैंकों में भी कौशल-सेट और उनके शीर्ष प्रबंधन तथा बोर्ड के निदेशकों के प्रोफाइल पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणाली

18. जोखिम प्रबंधन कार्य-प्रणाली की डिजाइन कारोबार के आकार, जटिलताएं तथा एमआइएस की गुणवत्ता पर आधारित होना चाहिए। बैंक के पास इसके लिए आवश्यक कौशल-सेट उपलब्ध होना चाहिए अथवा उसे आंतरिक क्षमता-निर्माण के माध्यम से विकसित करना चाहिए। अतः, बैंकों के लिए जरूरी है कि वे अपने संपूर्ण उद्यम के जोखिम-प्रबंधन के लिए अपने जोखिम-प्रबंधन कौशल को परिमार्जित करें, उसे अभिमुख (री-ओरियंट)

बनाएं। इसके अलावा, बैंकों के पास उत्पादों के उचित और अलग-अलग जोखिमों के अनुसार मूल्य-निर्धारण की तथा सेवाएं प्रदान करने की प्रणाली होनी चाहिए क्योंकि पूंजी लाने में लागत लगती है। इस कार्य में लागत लगती है, प्रत्येक उत्पाद और सेवा से आनेवाले राजस्व का मात्रात्मक मूल्यांकन हो तथा एक कुशल मूल्य-अंतरण प्रणाली हो जो पूंजी-आबंटन का निर्धारण करेगी। सामान्य रूप से यह पाया गया है कि कुछ बैंक कारोबारी निर्णय लेते समय जोखिम इनपुट का प्रयोग किए बिना वियामकीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जोखिम प्रबंधन संरचना को लागू कर देते हैं। इससे विभिन्न उत्पादों के मूल्य-निर्धारण में जोखिम को उचित रूप से शामिल नहीं किया जाता है। सबसे बड़ी चुनौती डाटा की विश्वसनीयता और भरोसे की है। यह सराहनीय है कि जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के अंतर्गत एक निर्धारित समय में रिज़र्व बैंक द्वारा सभी बैंक कवर कर लिए जाएंगे (पिछले वर्ष जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) के अंतर्गत 28 बैंक थे) जिसमें बहुत अधिक डाटा मांगे जाते हैं। बैंक का जोखिम प्रोफाइल, उसकी रेटिंग, और सबसे महत्वपूर्ण पर्यवेक्षीय पूंजी की गणना जो आरबीएस के आउटपुट हैं, का निर्धारण बैंकों द्वारा दिए गए डाटा और अन्य गुणवत्तापरक जानकारी के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। यह याद रखना होगा कि पर्यवेक्षीय निष्कर्ष, विनियामकीय दिशानिर्देश तथा अन्य मैक्रो-इकानामिक नीतियों के बनाने में काम आते हैं। अतः, बैंकों की शीर्ष प्रबंधतंत्र /बोर्डों की यह जिम्मेदारी है कि वे इस क्षेत्र पर सबसे अधिक ध्यान दे।

मानव संसाधन प्रबंधन

19. यह ऐसा क्षेत्र है, जहां हमारे अधिकांश बैंक, खासतौर से सरकारी क्षेत्र के बैंक पीछे पाए जाते हैं। वे अपने प्रमुख कारोबार को बढ़ाने की उत्सुकता में मानव-विशेषज्ञता की प्रासंगिकता को भूल जाते हैं जो उनको कारोबार को वहनीय तरीके से चलाते हैं। आधुनिक बैंकिंग की जटिलताओं और आईटी पर निर्भरता ने इस बात को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया है कि बैंक क्यों उपयुक्त स्थानों पर अपेक्षित मानवशक्ति तथा सही मात्रा में ज्ञान एवं अनुभव का उपयोग करें। भारतीय बैंकों में आज बहुत-सी बीमारियां हैं जैसे - मूल्यांकन के कमजोर मानक, जो समस्यामूलक खातों में प्रारंभिक चेतावनी के संकेत नहीं पकड़ पाते हैं; जिससे खाते के लेनदेन में धोखाधड़ी होती है या खाते एनपीए होने लगते हैं, ग्राहकों से लगातार शिकायतें प्राप्त होने लगती हैं आदि, जिनका कारण है बैंकों में मानवशक्ति में कौशल-अंतराल होना। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में मानव संसाधन संबंधी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं जैसे - अगले कुछ वर्षों में वरिष्ठ प्रबंध तंत्र में लगभग - शून्यता की स्थिति रहेगी, महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे-आईटी में विशेषज्ञ लोगों का अभाव, जोखिम प्रबंधन, ऋण मूल्यांकन, और तिजोरी परिचाल, मध्य और वरिष्ठ प्रबंधतंत्र के पदों पर उत्तराधिकार योजना का अभाव, नयी प्रतिभाओं को आकर्षित करना, उन्हें बनाए रखना तथा उनका पोषण करना, क्षमता निर्माण के प्रति तदर्थ रवैया और खराब निष्पादन प्रबंधन प्रणाली। यूनिवर्सल और भिन्न बैंक लाइसेंस के प्रस्ताव से लाइसेंस आवश्यकतानुसार उपलब्ध होंगे और इससे सरकारी क्षेत्र के बैंकों में जो भी कुशल मानवशक्ति है उसे रोक पाना मुश्किल होगा। निजी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में अनेक मामले उनकी कार्य-संस्कृति से जुड़े हुए हैं और वे अवास्तविक लक्ष्यों को किसी भी प्रकार अनुचित तरीके से हासिल करने पर फोकस करते हैं। इससे लोग उन बैंकों में नौकरी नहीं करना चाहते और यह उनकी प्रतिष्ठा से संबंधित गंभीर जोखिम का प्रभाव डाल सकता है।

भुगतान प्रणाली की दृष्टि से चुनौतियां

भुगतान मार्गों से वित्तीय समावेशन

20. प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग ने भुगतान प्रणाली को इलेक्ट्रानिक तौर पर लेन-देन युक्त बना दिया है, जो बैंकों के लिए चुनौती है और अवसर भी है कि वे अपने ग्राहक आधार को बढ़ाते हुए, विभिन्न उत्पादों के विकल्प की पेशकश करके, लागत कम करने की क्षमता हासिल करके, मानकीकरण के बारे में आश्वस्त करके, सुरक्षा और रक्षा द्वार अपने आउटरीच को विस्तार दे सकते हैं। इलेक्ट्रानिक तरीके से लेनदेन की मात्रा और मूल्य दोनों में प्रभावी विकास होने के बावजूद ये सुविधाएं महानगरों तथा बड़े शहरों तक सीमित हैं, जिससे डिजिटल क्षेत्र काफी बंट गया है। यह असंतुलन कई पैरामीटरों में दिखाई देता है, जैसे एटीएम लगाने के बारे में, अथवा पीओएस (बिक्री केंद्र) संबंधी बुनियादी सुविधाएं, मोबाइल बैंकिंग सेवाएं आदि। यह कहना गलत नहीं होगा, कि वित्तीय समावेशन का विज़न, भुगतान मार्गों को बेहतर बनाए बिना, प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि बैंकिंग की नीतियों में ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को समान स्थान नहीं दिया जाएगा।

21. जहां हमारा अंतिम लक्ष्य यह है कि हम भुगतान के अधिकांश मामलों में इलेक्ट्रानिक तरीका अपना लें, किंतु हम हर वास्तविकता को नज़र-अंदाज नहीं कर सकते कि आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा दैनिक ज़रूरतों के लिए अभी भी नकदी पर निर्भर है। ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार बुनियादी सुविधाओं के एकतरफा

विकास का भी इन चुनौतियों में योगदान है। अतः, समावेशी भुगतान प्रणाली प्राप्त करने की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि समाज की बड़ी आबादी के लिए विप्रेषण और नकदी लेनदेन की जरुरतों को पूरा करने के लिए, खासतौर से प्रवासी लोगों हेतु आसान सुविधाएं प्रदान की जाएं। रिज़र्व बैंक ने पहले से ही घरेलू स्तर पर मुद्रा अंतरण (डीएमटी) दिशानिर्देशों के अंतर्गत एक नीतिगत ढांचा लागू कर रखा है और अब बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे उसे आगे बढ़ाएं। इस प्रयोजन से, 'कार्ड रहित नकदी आहरण' का प्रयोग बैंक रहित क्षेत्रों में लोकप्रिय हो रहा है। हमने हालही में दो संस्थाओं को इस सेवा को आगे बढ़ाने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है। हां, इस कार्य को आगे बढ़ाना है, जिसके लिए बैंकों की सक्रिय सहभागिता और संवर्द्धन अनिवार्य है क्योंकि इन माडलों में डिलीवरी चैनल एटीएम तथा व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) है।

मानकीकरण और क्षमता-निर्माण

22. जहां इलेक्ट्रानिक तरीके से दी जाने वाली किसी भी सेवा का स्वागत होता है, वहीं स्टैंड-अलोन प्रणाली न केवल साइलो के समान कार्य करती है बल्कि कुछ हद तक बाज़ार को भी खंडित करती है। अतः, जैसे ही भुगतान की किफायती-प्रणाली परिपक्व हो जाएगी, अंतर-परिचालनात्मकता आवश्यक हो जाएगी, जिसके लिए प्रक्रियाओं और विधियों का मानकीकरण किया जाना पहली अनिवार्यता बन जाएगी। इससे न केवल लेनदेन में समानता पैदा होगी बल्कि एक समान ग्राहक सेवा का अनुभव हो सकेगा। इससे जुड़ी एक बात ध्यान में रखनी होगी, वह यह है कि यह प्रणाली न केवल वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो, बल्कि बढ़ती हुई मात्रा की जरूरत को भी पूरा करे। इसलिए जिस प्रकार से रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित प्रणाली में क्षमता का निर्माण कर रहा है (उदाहरण के लिए आरटीजीएस, या एनईएफटी) वहीं बैंक के लिए यह भी समान रूप से महत्वपूर्ण है कि वे अपनी नीति और कारोबार में अपेक्षित वृद्धि को ध्यान में रखकर अपनी बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा और उन्नयन स्वयं करें।

गैर-बैंक संस्थाओं के साथ भागीदारी

23. हालांकि हमने वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बैंकजन्य मॉडल अपनाया है, लेकिन गैर-बैंकों संस्थाओं को भी यह मौका दिया गया कि वे भुगतान क्षेत्र में शामिल हों - चाहे बीसी के माध्यम से या ह्वाइट लेबल एटीएम या प्रीपेड कार्ड के माध्यम से। इनमें से बहुत से क्षेत्रों में गैर-बैंक संस्थाओं को बैंकों के साथ निकट का संपर्क बनाकर समन्वय करना होगा। यह जरूरी है कि बैंक इन गैर-बैंक संस्थाओं के साथ भागीदारी करके सहयोगी विकास की क्षमता का पता लगाएं और उनकी शक्ति का उपयोग करें ताकि दोनों संस्थाओं को कार्यकुशलता का लाभ मिल सकें, इस हवाले से एक मामला यह हो सकता है जैसे, बैंक मोबाइल बैंकिंग के दायरे को बढ़ाने के लिए एमएनओ भागीदारी, खासतौर से ऐसे एमएनओ के साथ जो बीसी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार की प्रगति अन्य क्षेत्रों में भी की जानी चाहिए। हालांकि इस संबंध में एक सावधानी जरूरी है - बैंक, सुरक्षित व विश्वस्त सेवाएं देने, विशेष रूप से ऐसे वातावरण में जहां भुगतान संबंधी बड़े कार्यकलाप आउटसोर्स किए जा रहे हैं, बैंक ग्राहकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकते। कुछ संदर्भों में, हमने भी यह पाया है कि गतिविधियां कुछ ही सेवा-प्रदाताओं तक केंद्रित हैं और बैंकों को इसे ध्यान में रखना चाहिए।

भुगतान संबंधी लेनदेन की सुरक्षा और विश्वसनीयता

24. अंतिम बात यह है कि भुगतान संबंधी लेन-देन सुरक्षित और विश्वसनीय हों। इसका ग्राहकों द्वारा भुगतान के तरीके का चयन करने में ग्राहकों के व्यवहार पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। जहां रिज़र्व बैंक ने इलेक्ट्रानिक लेन-देन में सुरक्षा मजबूत करने तथा जोखिम कम करने के स्तर को बढ़ाने के लिए कई अपेक्षाएं पूरी करने के अधिदेश दिए हैं, वहीं यह आवश्यक है कि इसे न केवल शब्दशः बल्कि भावना के अनुरूप कार्यान्वित किया जाए। इसके अलावा, लेनदेन की बढ़ती मात्रा को देखते हुए सीधे-सीधे प्रोसेसिंग (एसटीपी) की आवश्यकता अनिवार्य हो गई है। इसलिए, बड़ी मात्रा में लेनदेन करते समय, कतिपय प्रक्रियागत परिवर्तन किए जाने जरूरी हैं। उदाहरण के लिए, एनईएफटी और आरटीजीएस के अंतर्गत अपेक्षा है जिसमें लाभार्थी ग्राहक के खाते में पैसा प्रेषक द्वारा विप्रेषण-फार्म में दिए गए खाते की संख्या के आधार पर जमा किया जाता है। इसी नीति को अपनाने के पीछे इरादा यह है कि बैंकों के स्तर पर लेन-देन की बढ़ती हुई मात्रा को देखते हुए एसटीपी के माध्यम से संचालन को आसान बनाया जाए, वहीं ग्राहक की शिकायतों को देखने के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए और बैंक सावधानीपूर्वक भुगतान करने वाले का पता लिखवाएं और इस प्रकार के इलेक्ट्रानिक लेन-देन के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करें। ग्राहक तथा फ्रंटलाइन स्टाफ में जागरुकता और शिक्षण जरुरी है जिससे न केवल भुगतान उत्पादों की स्वीकार्यता सुनिश्चित होगी बल्कि प्रणाली की सुरक्षा और विश्वसनीयता के प्रति आश्वासन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

अंतिम बात

25. अंत में, बैंक जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था को धन उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आने वाले वर्षों में मध्य-आय वर्ग का देश बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सामने आने वाली चुनौतियां अब उनकी समझी-बूझी हैं। लेकिन यदि अनजान बने रहे तो बैंक उत्पन्न होनेवाली स्थितियों को अनुकूल कैसे बनाएंगे और उससे ऊपर कैसे उठेंगे। इस मामले को और अधिक मुश्किल इस तथ्य ने बना दिया है कि भारतीय बैंक बढ़ते हुए वैश्वीकृत वातावरण में कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण उनके सामने कई कारक होंगे - विनयामकीय, प्रौद्योगिकी, सीमा-पार से वित्तीय प्रवाह उन्हें प्रभावित करेगा जिसपर उनका कोई नियंत्रण नहीं होगा, खासतौर से -

i. क्या बैंक अपनी मौजूदा एवं भावी कारोबारी वृद्धि तथा विवेकपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाज़ार से अपेक्षित मात्रा में पूंजी जुटा पाएंगे?

ii. क्या बैंक विभिन्न प्रकार के ग्राहकों की विभिन्न एवं गतिशील अपेक्षाओं को समझ पाएंगे और ग्राहक की आवश्यकता के अनुरूप उत्पाद बना पाएंगे?

iii. क्या बैंक यह कार्य किफायती तरीके से कर सकेंगे?

iv. क्या बैंक कौशल्यपूर्ण मानवशक्ति को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने में समर्थ होंगे और उनका उपयोग कारोबार वृद्धि तथा जोखिम दूर करने दोनों के प्रयोजनों से अपनी एक जिम्मेदार एवं प्रतिक्रियाशील नियोक्ता की छवि को धूमिल किए बिना कर सकेगा?

v. क्या बैंक प्रौद्योगिकीयुक्त भुगतान प्रणाली का सहारा लेते हुए किफायती दर पर, आसान पहुंच देकर, स्वीकार्य तथा आश्वस्त तरीके से अपने ग्राहक आधार को बढ़ाने के लिए अपने आउटरीच एवं उत्पाद को विस्तार दे पाएंगे?

मुझे आशा है कि भारतीय बैंक इस मुद्दों और सवालों का जवाब देने की कोशिश में चुनौतियों को बेहतरीन अवसर में ढाल लेंगे और अपने अधिदेश का इस्तेमाल करते हुए वास्तविक अर्थव्यवस्था की सेवा कुशल तरीके से करेंगे। रिज़र्व बैंक, अपने स्तर पर एक सहायक विनियामक ढांचा प्रदान करने की कोशिश लगातार जारी रखेगा जो इस पूरी प्रक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका अदा करेगा। मैं सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूं।